

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 23, बुधवार, शके 1948- मई 13, 2026 Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1948- May 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 12, 2025

संख्या प.9(29)राज-1/2025-25853:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, बीकानेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **बीकानेर जिले की तहसील बज्जू व कोलायत** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन सं ख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर / बज्जू	गज्जेवा ला / बज्जू खालसा	गज्जेवा ला LG Code 69379	1192 1	1921	धरती धोरा री चक 16 जीडब्ल्यूए म आबादी Dharti Dhora Ri CHAK 16 GWM Aabadi	1262.7 3	853	20	10658. 27

2		गोकुल / बज्जू खालसा	गोकुल LG Code 69572	1202 8	1463	मरुधर नगर Marudhar Nagar	2597	257	15	9431
3		बिजेरी / बज्जू खालसा	बिजेरी LG Code 69365	8012	1737	3 के. डब्ल्यू. एम. आबादी 3 K.W.M. Aabadi	1233	411	3	6779
4		जागण वाला / बज्जू खालसा	शेरुवाला LG Code 69366	8523	1769	3-4 एस.एच.एम . आबादी 3-4 S.H.M. Aabadi	4959	260	15	3564
5		गंगापुरा / कोलाय त	गंगापुरा LG Code 69423	4065. 92	1697	पिलाप Pilap	797.50	253	1. 5	3268.4 192
6	बीकाने र / कोलाय त	मढ़ / कोलाय त	मढ़ LG Code 69492	2606 .33	2743	हिंगलाजन गर Hinglajna gar	1146.1 4	436	1	1460.1 8845
7		बीठनो क / कोलाय त	बीठनोक LG Code 69444	2758 1.88	6300	करणपुरा Karanpur a	4097.1 3	2032	2	23484. 75

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,
हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।